संख्या–203 / 9–आ–4–2000

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
मसूरी–देहरादून / लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : 20 जनवरी, 2000

विषय : अनाधिकृत / अवैध अध्यासियों के पक्ष में अद्यतन सर्किल रेट पर नजूल भूमि फ्री–होल्ड किए जाने तथा अनाधिकृत अध्यासियों द्वारा एक मुश्त धनराशि 90 दिन के अन्दर जमा कर दिये जाने पर 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य नहीं होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–2268 / 9–आ–4–98–704एन / 97, दिनांक–1.12.98 के प्रस्तर–7 में अवैध कब्जों को विनियमित किए जाने हेतु अवैघ अध्यासियों के पक्ष में नजूल भूमि अद्यतन सर्किल रेट के आधार पर फ्री–होल्ड किए जाने के निर्देश किए गये हैं इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अद्यतन सर्किल रेट का आशय, जिस तिथि को अवैघ अध्यासी द्वारा नजूल भूमि फ्री–होल्ड हेतु नियमानुसार 25 प्रतिशत स्वमूल्याँकन की धनराशि जमा कर आवेदन किया गया है, उस तिथि को प्रभावी सर्किल रेट से है।

2– यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में अनाधिकृत अध्यासियों द्वारा एक मुश्त धनराशि 90 दिन के अन्दर जमा कराये जाने पर 20 प्रतिशत छूट की व्यवस्था नहीं है। अतः उक्त छूट अवैघ अध्यासियों को अनुमन्य नहीं है।

3– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदन पत्रों को, जिनमें अद्यतन सर्किल रेट के आधार पर फ्री–होल्ड होना है तथा सर्किल रेट में परिवर्तन हुआ है / होता है तो, ऐसे परिवर्तन के एक माह के अन्दर या अब से एक माह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाय अन्यथा आवेदन पत्र की तिथि के समय तथा निस्तारण की तिथि के समय सर्किल रेट्स में अन्तर्निहित धनराशि दोषी अधिकारी / कर्मचारी के वेतन से वसूली जायेगी।

4– कृपया उपरोक्त स्थिति से समस्त स्थानीय निकायों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।